रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102022-239765
CG-DL-E-20102022-239765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 2022/आश्विन 28, 1944
No. 269] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2022/ASVINA 28, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2022

फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-I.—केन्द्रीय सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और पैट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन, विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से दिनांक 22.04.2022 की अधिसूचना सं. 1(10)/2018-एसपी-I के माध्यम से ऐसे परियोजना प्रस्तावकों से जिन्होंने अपनी मौजूदा इथेनॉल डिस्टीलेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए अथवा अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और सोरघम), गन्ना (चीनी, शुगर सीरप, गन्ना जूस, बी-हैवी शीरा, सी-हैवी शीरा सहित), चुकंदर आदि जैसे फीड स्टॉक से फर्स्ट जनरेशन (1जी) इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए नई डिस्टिलरियों की स्थापना हेतु इथेनॉल परियोजना के लिए भूमि अधिगृहीत किया है और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है, से नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए आशोधित स्कीम दिनांक 14.01.2021 के तहत दिनांक 22.04.2022 से छ: माह तक के लिए एक विंडो खोला था जिसे अधिसूचना दिनांक 06.05.2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

2. अब उक्त अधिसूचना दिनांक 22.04.2022 के पैरा 9 के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिसूचना दिनांक 22.04.2022 के निम्नलिखित पैरा को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है: -

"अब केंद्रीय सरकार ने दिनांक 14.01.2021 की संशोधित स्कीम के तहत उन परियोजना प्रस्तावकों जिन्होंने फीड स्टॉक जैसे अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का तथा सोरघम), गन्ना (चीनी, चीनी सीरप, गन्ने के रस, बी-हैवी शीरा, सी-हैवी शीरा सहित) चुकंदर आदि से फर्स्ट जेनेरेशन (1जी) इथेनॉल के उत्पादन हेतु अपनी मौजूदा

इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता में वृद्धि या नई डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए इथेनॉल परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है, से नए आवेदन आमंत्रित करने हेतु **दिनांक 22.04.2022 से एक वर्ष तक** के लिए एक विंडो खोलने का निर्णय लिया है।"

पैरा 3: आवेदन प्रस्तुत करना:-

"इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए, ऐसी चीनी मिलों/डिस्टिलरियों/उद्यमियों, जिन्होंने अपनी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-I) में आवेदन-सह-प्रस्ताव https://www.nsws.gov.in/ पर केवल ऑन-लाईन माध्यम द्वारा **दिनांक 22.04.2022 से एक वर्ष की अवधि** के दौरान निदेशक (शर्करा एवं वनस्पति तेल), शर्करा एवं वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), कृषि भवन, नई दिल्ली को, इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, भेजना अपेक्षित होगा।"

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2022

F. No.1(10)/2018-SP-I.—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers opened a window for six months w.e.f. 22.04.2022 under modified scheme dated 14.01.2021 for inviting fresh applications from those project proponents who have acquired land for ethanol project and obtained Environmental Clearance (EC) for enhancement of their existing ethanol distillation capacity or to set up new distillery for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane (including sugar, sugar syrup, sugarcane juice, B-heavy molasses, C-heavy molasses), sugar beet etc. vide notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 22.04.2022 which was subsequently amended vide notification dated 06.05.2022.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 22.04.2022, Central Government has decided that following paras of the notification dated 22.04.2022 may be read as under:-

"Now, the Central Government has decided to open a window **for one year w.e.f 22.04.2022** under modified scheme dated 14.01.2021 for inviting fresh applications from those project proponents who have acquired land for ethanol project and obtained Environmental Clearance (EC) for enhancement of their existing ethanol distillation capacity or to set up new distillery for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane (including sugar, sugar syrup, sugarcane juice, B-heavy molasses, C-heavy molasses), sugar beet etc"

Para 3: Submission of application:

"For availing assistance under the Scheme, the sugar mills/distilleries/entrepreneurs who have acquired land and obtained environmental clearance for their project would be required to submit an application cum-proposal in the prescribed Proforma (Annexure-I) to the Director (S&VO), Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution (DFPD), Krishi Bhawan, New Delhi during the period of **one year w.e.f 22.04.2022** through online mode only on the https://www.nsws.gov.in to avail benefit under the scheme."

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA